



राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर

(कार्यालय : प्रशासनिक भवन, हल्दीना, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर)

Phone : 0144-2730321, 2730327, 2980046 FAX : 0144-2730321

Website : www.rrbmuniv.ac.in

क्रमांक : राऋभमवि/अल/अका.-द्वितीय/2025/806

दिनांक : 09.07.2025

—:कार्यालय आदेश:—

दिनांक 09.07.2025 को आयोजित निरीक्षण मण्डल की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार पूर्व में सम्बद्धता प्राप्त चार वर्षीय इन्टीग्रेटेड बी.ए./बी.एस.सी.-बी. एड. प्रशिक्षण महाविद्यालयों की सम्बद्धता का विस्तार सत्र 2025-26 के लिए किये जाने की अभिशंका की अनुपालना में निम्नलिखित महाविद्यालयों की उनके सम्मुख सीटों एवं विषयों में महाविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर सत्र 2025-26 की अस्थाई सम्बद्धता में विस्तार किया जाता है:-

RAJ RISHI BHARTRIHARI MATSYA UNIVERSITY, ALWAR				
List of Integrated Affiliated College for the Session 2025-26				
Sr. No.	Name of College	Sanction Seats (Arts)	Sanction Seat (Science)	Cat
01	Takshila College Hamjapur, Behror, Alwar	50	50	C
02	Rajasthan Shikshak Prashikshan Mahavidhalya, Ramgarh-Delhi Road, Near Toll Tax, Bahala	50	50	C

The colleges are directed not to be admit excess students beyond the number of seats sanctioned them, in case they admit excess student the appropriate action for de-affiliation will be initiated against the college

- समस्त महाविद्यालयों द्वारा एनसीटीई, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा एवं विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।
- विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों के निरीक्षण के दौरान यदि महाविद्यालय द्वारा पत्रावली में जमा करवाये गये दस्तावेजों में भिन्नता पाई जाती है तो सम्बन्धित महाविद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- महाविद्यालय के द्वारा यदि स्टाफ में कोई परिवर्तन किया जाता है तो सम्बन्धित महाविद्यालय इसकी सूचना विश्वविद्यालय को आवश्यक रूप से दें।
- महाविद्यालय का सम्बद्धता शुल्क माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जयपुर के समक्ष विचाराधीन रिट संख्या 5892/2025 के अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

कुल-सचिव

क्रमांक : राऋभमवि/अल/अकाद-द्वितीय/2025/807-811

दिनांक : 09.07.2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

- परीक्षा नियंत्रक।
- प्राचार्य सम्बन्धित महाविद्यालय
- निजी सहायक माननीय कुलपति महोदय।
- प्रभारी अधिकारी, आई.टी.।
- रक्षित पत्रावली।

कुल-सचिव